

सक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

विभाग द्वारा (प्रमाण पत्र) को प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग द्वारा झाँसी-ललीतपुर (बबीना मार्ग) मार्ग (एन0एच0-26) के किमी0 सं0-0.00 से 3.00 तक, जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चार लेन सड़क चौड़ीकरण स्थल से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी स्थित नहीं है।

वन्य जीव विहार / सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग द्वारा झाँसी-ललीतपुर (बबीना मार्ग) मार्ग (एन0एच0-26) के किमी0 सं0-0.00 से 3.00 तक, जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चार लेन सड़क चौड़ीकरण स्थल से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी स्थित नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग झाँसी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(एन० के० सुमन)
निर्माण विभाग (भवन विंग)
लोक निर्माण विभाग, झाँसी
लो०नि०वि०, झाँसी